न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 34/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1हस्तीमल पंवार पुत्र शंकरलाल जाति सैनी निवासी चेनार चुंगी का नाका, डीडवाना रोड, नागौर। फर्म–श्री ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना बस स्टेण्ड, नागौर। 2श्रीमती ललिता पंवार पत्नी हस्तीमल पंवार निवासी चेनार चुंगी का नाका, डीडवाना रोड, नागौर। फर्म–श्रीबालाजी ऑयल मिल्स, H1-181 बीकानेर रोड, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर। 3 फर्म–श्रीबालाजी ऑयल मिल्स, H1-181 बीकानेर रोड, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर।

आदेश दिनांक :20.02.20

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 18.12.2017 को मैसर्स श्री ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना बस स्टेण्ड, नागौर पर खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (वीर तेजाजी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 932 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 1193/एक्ट/2017/1194 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मूंगफली का तेल (वीर तेजाजी ब्राण्ड) Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण हस्तीमल पंवार पुत्र शंकरलाल जाति सैनी निवासी नागौर, श्रीमती ललिता पंवार पत्नी हस्तीमल पंवार निवासी नागौर तथा फर्म–श्रीबालाजी ऑयल मिल्स, H1-181 बीकानेर रोड, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 09-10-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 हस्तीमल दिनांक 10.01.19 को उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्रीमती ललिता पंवार दिनांक 20.02.20 को न्यायालय मे उपस्थित हुई। अप्रार्थी सं. 1 ने अपना जवाब दिनांक 20.02.2020 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि मेरी फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने सोयाबीन तेल का सेम्पल भरा। जो सब स्टेंडर्ड होना पाया गया। मुझे उस वक्त विटामिन ए व डी का ध्यान नही था। जो तेल मे मिलाया जाता है। तेल मै बाहर से टैंकर मंगवाता हूँ। बाद मे पैंकिग करके देता हूँ। अब विटामिन ए व डी मिलाना चालू कर दिया है। ऐसी गलती भविष्य मे नही करूंगा। इस मुकदमे मे कम से कम जुर्माना करके दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 1193/एक्ट/2017/1194 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार मूंगफली का तेल (वीर तेजाजी ब्राण्ड) का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 हस्तीमल पंवार पुत्र शंकरलाल जाति सैनी निवासी नागौर, अप्रार्थी सं. 2 श्रीमती ललिता पंवार पत्नी हस्तीमल पंवार निवासी नागौर तथा अप्रार्थी सं. 3 फर्म–श्रीबालाजी ऑयल मिल्स, H1-181 बीकानेर रोड, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर पर संयुक्त रूप से रू. 40,000/– अक्षरे रूपये चालीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)